

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 18वीं बैठक जो दिनांक 31.05.2016 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1- श्री ए0पी0 मिश्रा, प्रबन्ध निदेशक	अध्यक्ष
2- श्री ए0 के0 अग्रवाल	निदेशक
3- श्री बी0एस0 तिवारी	निदेशक
4- श्री राकेश त्रिवेदी	निदेशक

विशेष आमंत्रि

1. श्री सुबीर चक्रवर्ती, मुख्य अभियन्ता (पीपीएमएम)
2. श्री आर0 के0 जैन, मुख्य अभियन्ता (जानपद-नव परियोजना)

सहायतार्थ

श्री एच0 के0 अग्रवाल, कम्पनी सचिव

कम्पनी सचिव द्वारा उपस्थित निदेशकों को अवगत कराया गया कि श्री संजय अग्रवाल, अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, जो निगम के ex-officio अध्यक्ष हैं, के द्वारा दिनांक 20.04.2016 को त्याग पत्र दे दिया गया है, जिसे परिचालन माध्यम द्वारा निगम के निदेशक मण्डल से दिनांक 25.04.2016 को स्वीकृत भी कराया जा चुका है। अतः वर्तमान में आज की तिथि में निगम के अध्यक्ष का पद रिक्त है। इसी तारतम्य में सभी निदेशकों द्वारा सर्व सम्मति से श्री ए0पी0 मिश्रा, प्रबन्ध निदेशक से अनुरोध किया गया कि वह इस बैठक की अध्यक्षता करें, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दी। तदनुसार यह बैठक श्री ए0पी0 मिश्रा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

क्रम	एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
1	निगम के निदेशक मण्डल की 17वीं बैठक जो दिनांक 04.02.2016 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि।	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की 17वीं बैठक जो दिनांक 04.02.2016 को सम्पन्न हुयी, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया।"

(2)
निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।
निदेशक मण्डल ने दिनांक 25.04.2016 को निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव का पुष्टिकरण करते हुए उसे निम्नवत् उद्धरित करने का अनुमोदन प्रदान किया :-

एजेण्डा आइटम	लिया गया निर्णय
श्री संजय अग्रवाल द्वारा अध्यक्ष एवं निदेशक, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पद से दिये गये त्याग	निदेशक मण्डल ने श्री संजय अग्रवाल द्वारा अध्यक्ष एवं निदेशक, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पद से दिये गये त्याग पत्र दिनांक 20.04.2016

CHAIRMAN'S
INITIAL





पत्र दिनांक 20.04.2016 के सम्बन्ध में निदेशक मंडल के सदस्यों से परिचालन माध्यम से प्रस्ताव पारित कराये जाने के सम्बन्ध में।

के सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किया :-

" निदेशक मण्डल ने श्री संजय अग्रवाल के पत्र दिनांक 20.04.2016 के द्वारा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के अध्यक्ष एवं निदेशक के पद से दिनांक 20.04.2016 से दिये गये त्याग पत्र को स्वीकार किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।"

"निदेशक मण्डल ने इस प्रस्ताव के कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर करने एवं इसे जारी करने हेतु श्री ए०पी० मिश्रा, प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।"

3 निदेशक की सूचना एवं अंशों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल ने निगम के निदेशकों की सूचना एवं अंशों के हस्तांतरण के सम्बन्ध में निम्न अनुमोदन प्रदान किया :-

1. निदेशक मण्डल ने श्री मुरलीधर भागचन्दानी का निगम में निदेशक के पद पर कार्यकाल दिनांक 28.03.2016 को समाप्त होने की सूचना नोट की।
2. निदेशक मण्डल ने श्री मुरलीधर भागचन्दानी के नाम निगम का एक अंश रू० 10/- प्रति अंश का हस्तांतरण श्री राकेश कुमार, मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) के नाम किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
3. निदेशक मण्डल ने श्री आर०वी० पाण्डेय के नाम निगम का एक अंश रू० 10/- प्रति अंश श्री बिद्या सागर तिवारी वर्तमान निदेशक के नाम हस्तांतरित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

(4)

निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेशन के आर्टिकल 109 (डी) में संशोधन के सम्बन्ध में ।

निदेशक मण्डल ने निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेशन के वर्तमान आर्टिकल 109 (डी) में संशोधन करते हुए निम्न प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया :-

1. निदेशक मण्डल ने निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेशन के वर्तमान आर्टिकल 109 (डी) को संशोधित करते हुए निम्नवत् नये आर्टिकल 109(डी) से प्रतिस्थापित कर दिया जाये :-

Existing Article 109 (d)	Proposed Article 109 (d) to be incorporated
Chairman of UPRVUNL shall be ex-officio director and non executive Chairman of the Company.	Managing Director of UPRVUNL shall be ex-officio director and Chairman and Managing Director of the Company.



CHAIRMAN'S INITIAL


Handwritten signature

MINUTE BOOK

2. निदेशक मण्डल ने निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेशन के वर्तमान आर्टिकल 109 (डी) को संशोधित करते हुए नये आर्टिकल 109(डी) से प्रतिस्थापित करने के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में यह प्रस्ताव निगम के अंशधारियों से अनुमोदित कराये जाने हेतु अंशधारियों की असाधारण सामान्य बैठक आयोजित करने का अनुमोदन प्रदान करते हुए नोटिस जारी करने के लिये कार्यकारी कम्पनी सचिव को अधिकृत किया।

5	निगम में गठित निदेशक निविदा समिति के पुर्नगठन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने निगम में पूर्व में कार्यालय ज्ञाप सं० 2504 दिनांक 04.01.2016 द्वारा गठित निदेशक निविदा समिति में से श्री मुरलीधर भागचन्दानी जिनका निदेशक का कार्याकाल दिनांक 28.03.2016 को समाप्त हो चुका है का नाम हटाते हुए अन्य कार्यरत निदेशकों की निदेशक निविदा समिति गठित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
6	निगम में कारपोरेट निविदा समिति-प्रथम के गठन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने निर्णय लिया कि जब तक जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० में कारपोरेट निविदा समिति-प्रथम का गठन अलग से नहीं हो जाता तब तक उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में गठित कारपोरेट निविदा समिति-प्रथम द्वारा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० में यथावत कार्य देखा जाता रहेगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि रू० 25 करोड़ से अधिक के पूँजीगत तथा अनुरक्षण एवं परिचालन सम्बन्धी निविदाओं में यह समिति अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
7	निगम के अंशधारियों की असाधारण सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में जारी नोटिस सं० 2714 दिनांक 17.03.2016 के कार्योत्तर अनुमोदन के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने निगम के अंशधारियों की असाधारण सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में जारी नोटिस सं० 2714 दिनांक 17.03.2016 सपठित नोटिस सं० 2755 दिनांक 02.04.2016 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।
8	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 184 (1) के अन्तर्गत प्रपत्र सं० एम०बी०पी०-1 प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने सभी निदेशकों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र एम०बी०पी०-1 को रिकार्ड पर लिया।
9	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० का वित्तीय वर्ष 2010-11 का सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखा, उस पर संवैधानिक सम्प्रेक्षा उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन	निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० का वित्तीय वर्ष 2010-11 के सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखा, उस पर संवैधानिक सम्प्रेक्षा उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय


CHAIRMAN'S
INITIAL


MINUTE BOOK

	उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ तथा अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने के लिये संस्तुति हेतु प्रस्ताव।	प्रतिवेदन तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया :- "संकल्प लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखे, संवैधानिक सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन तथा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन (असमीक्षा प्रमाण पत्र) का अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया कि इन्हें अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में अंगीकृत कराने के लिये प्रस्तुत करने हेतु संस्तुति की जाती है।"
13	वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, एवं 2013-14 के निदेशक मण्डल प्रतिवेदनों को अंशधारियों की वार्षिक साधारण में प्रस्तुत किये जाने हेतु निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।	निदेशक मण्डल ने निगम के वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, एवं 2013-14 के निदेशक मण्डल प्रतिवेदनों का अनुमोदन प्रदान करते हुए उन पर हस्ताक्षर करने हेतु बैठक के अध्यक्ष श्री ए0पी0 मिश्रा को अधिकृत किया।
14	निगम के अंशधारियों की द्वितीय एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने निगम के अंशधारियों की द्वितीय एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत नोटिस का अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे जारी करने हेतु कार्यकारी कम्पनी सचिव को अधिकृत किया।
15	निगम के अंशधारियों की तृतीय एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने निगम के अंशधारियों की तृतीय एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत नोटिस का अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे जारी करने हेतु कार्यकारी कम्पनी सचिव को अधिकृत किया।
16	निगम के अंशधारियों की चतुर्थ एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने निगम के अंशधारियों की चतुर्थ एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत नोटिस का अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे जारी करने हेतु कार्यकारी कम्पनी सचिव को अधिकृत किया।
17	निगम के अंशधारियों की पंचम एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने निगम के अंशधारियों की पंचम एडजोर्न्ड वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत नोटिस का अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे जारी करने हेतु कार्यकारी कम्पनी सचिव को अधिकृत किया।
18	2X660 मेगावाट जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निर्माण कार्य हेतु मैसर्स पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लि0	निदेशक मण्डल ने 2X660 मेगावाट जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निर्माण कार्य हेतु मैसर्स पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लि0 द्वारा स्वीकृत ऋण

CHAIRMAN'S
INITIAL


Handwritten signature

MINUTE BOOK

<p>द्वारा स्वीकृत ऋण रू0 6156.80 करोड़ (ऋण सं0 J2301001) के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।</p>	<p>रू0 6156.80 करोड़ (ऋण सं0 J2301001) के सम्बन्ध में निम्न संकल्प पारित किया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संकल्प लिया गया कि उत्तर प्रदेश जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 2X660 मेगावाट के निर्माण हेतु मैसर्स पावर फाइनैस कारपोरेशन लि0 के पत्र सं0 पत्रांक 03/22/NR /UP/ JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001/037586 दिनांक 05.04.2016 सपडित पत्र सं0 03 / 22 / JVUNL/Jawaharpur TPS/Vol-1/J2301001/038278 दिनांक 03.05.2016 द्वारा स्वीकृत रू0 6156.80 करोड़ का ऋण (ऋण संख्या J2301001) उसमें निहित नियम एवं शर्तों पर आहरित करने का अनुमोदन प्रदान किया। 2. संकल्प लिया गया कि जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आय-व्ययक अनुमान में उक्त परियोजना हेतु पर्याप्त धनराशि वर्ष 2016-17 से 2026-27 तक प्राविधानित की जायेगी तथा ऋण के पुर्नभुगतान एवं ब्याज/ब्याज कर तथा अन्य व्ययों के भुगतान हेतु समुचित प्राविधान सम्बन्धित वर्षों के आय-व्ययकों में किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया। 3. पुनः संकल्प लिया गया कि उक्त ऋण से सम्बन्धित समस्त प्राविधिक सूचनाएँ, आँकड़ें, सूचियाँ एवं योजना के लिये सामग्री तथा उपकरणों की सूची, क्लेम निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने एवं योजना के ससमय क्रियान्वयन हेतु अधीक्षण अभियन्ता एवं तदुपरि स्तर के अभियन्ता को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकन हेतु निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) को अधिकृत किया। 4. पुनः संकल्प लिया गया कि उक्त ऋण पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित होगा जिसके लिये उ0प्र0 शासन द्वारा गारण्टी डीड/बॉण्ड एकजीक्यूट किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया।
---	---



CHAIRMAN'S
INITIAL



MINUTE BOOK

5. पुनः संकल्प लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति जारी करने पर जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा जारी की जाने वाली काउन्टर गारण्टी को हस्ताक्षर करने हेतु कम्पनी सचिव को अधिकृत किया।
6. पुनः संकल्प लिया गया कि मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट निष्पादन के समय तथा ऋण तथा अन्य देयों के पूर्ण भुगतान तक जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० का परियोजना पर फिजिकल पोजेशन तथा स्वामित्व रहेगा।
7. पुनः संकल्प लिया गया कि मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट के निष्पादन के पूर्व जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा राज्य सरकार से मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि० के पूर्ण देयों के भुगतान, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु सब्सिडी/अनुदान देने ओ.एफ.ए.पी. के क्रियान्वयन योजना आदि के सम्बन्ध में मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि० के निर्धारित प्रारूप में पी.एफ.सी. को प्रस्तुत करने का अनुमोदन प्रदान किया।
8. पुनः संकल्प लिया गया कि उक्त ऋण अनुमोदित वार्षिक योजना प्राविधानों के अनुसार शासकीय बजट प्राविधान के अतिरिक्त होगा।
9. पुनः संकल्प लिया गया कि 2X660 मेगावाट जवाहरपुर विद्युत तापीय विद्युत गृह के निर्माण कार्य हेतु उक्त ऋण से सम्बन्धित कार्यों को निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण कराने हेतु एक टास्क फोर्स के गठन हेतु प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।
10. पुनः संकल्प लिया गया कि मैसर्स पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि० द्वारा निर्धारित शर्तों तथा समस्त वित्तीय प्रारूपों को स्वीकार करते हुये जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि० के मध्य ऋण आहरण तथा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने हेतु निदेशक (वित्त)/प्रबन्ध



CHAIRMAN'S
INITIAL



MINUTE BOOK

		<p>निदेशक, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा नामित अधिकारी को अधिकृत किया।</p> <p>11. पुनः संकल्प लिया गया कि यथा आवश्यकतानुसार यदि निगम की कॉमनसील अनुबन्ध पत्रों पर अंकित की जानी हो, उस स्थिति में निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 143 में निहित प्राविधान के अनुसार सील लगाने हेतु कम्पनी सचिव एवं दो निदेशकों को अधिकृत किया।</p>
19	निगम के अंशधारियों की असाधारण सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में।	निदेशक मण्डल ने निगम के अंशधारियों की असाधारण सामान्य बैठक आयोजित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत नोटिस का अनुमोदन प्रदान करते हुए इसे जारी करने हेतु कार्यकारी कम्पनी सचिव को अधिकृत किया।
20	निगम के वित्तीय वर्ष 2014-15 के पुनरीक्षित वार्षिक लेखों का निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।	<p>निदेशक मण्डल ने निगम के वित्तीय वर्ष 2014-15 के पुनरीक्षित वार्षिक लेखों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया :-</p> <p>“संकल्प लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के पुनरीक्षित वार्षिक लेखों (लेखा नीति तथा लेखों पर टिप्पणी सहित) का अनुमोदन प्रदान करते हुए इन वार्षिक लेखों पर हस्ताक्षर करने हेतु कम्पनी सचिव, मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), निदेशक (वित्त) तथा प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।”</p>
21	निगम के वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखों का निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।	<p>निदेशक मण्डल ने निगम के वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखों सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया :-</p> <p>“संकल्प लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखों (लेखा नीति तथा लेखों पर टिप्पणी सहित) का अनुमोदन प्रदान करते हुए इन वार्षिक लेखों पर हस्ताक्षर करने हेतु कम्पनी सचिव, मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), निदेशक (वित्त) तथा प्रबन्ध निदेशक को अधिकृत किया।”</p>
22	उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० को उपलब्ध कराई गई अंशपूँजी के आबंटन तथा अंश प्रमाण पत्र निर्गत किये	निदेशक मण्डल ने उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० द्वारा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० को उपलब्ध कराई गई अंशपूँजी के आबंटन तथा अंश प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न



CHAIRMAN'S
INITIAL




MINUTE BOOK


<p>जाने हेतु निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।</p>	<p>संकल्प पारित किये :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संकल्प लिया गया कि उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० से अंशपूँजी के मद में प्राप्त धनराशि रू० 1,00,00,000.00(10,00,000 अंश प्रति अंश रू० 10.00) के सापेक्ष शत प्रतिशत अंश (नामिनि अंशधारियों को छोड़ते हुए) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पक्ष में जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया गया। 2. पुनः संकल्प लिया गया कि नगद प्राप्त अंशपूँजी रू० 1,00,00,000.00 के सापेक्ष 10,00,000 अंश (प्रति अंश रू० 10.00) का एक शेयर सार्टिफिकेट उ०प्र०राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के पक्ष में जारी करने का अनुमोदन प्रदान किया गया। 3. पुनः संकल्प लिया गया कि जारी किये जाने वाले शेयर सार्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कम्पनी सचिव, प्रबन्ध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) को हस्ताक्षर कर शेयर सार्टिफिकेट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया। 4. पुनः संकल्प लिया गया कि उपरोक्त वर्णित शेयर सार्टिफिकेट पर जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से सम्बन्धित प्राविधान के अनुसार कामन सील लगाने का भी अनुमोदन प्रदान किया।
<p>23 जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० की Environment Policy के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</p>	<p>निदेशक मण्डल ने जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि० की Corporate Environment Policy का अनुमोदन प्रदान किया।</p>

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

बैठक सांय 4:00 बजे प्रारम्भ होकर सांय 5:00 बजे समाप्त हुई।

दिनांक : 7/6/2016


(ए०पी० मिश्रा)

बैठक के अध्यक्ष


CHAIRMAN'S
INITIAL